कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मुकेश कुमार मेश्राम, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री निर्मल कुमार राजकुमार, सिविल लाइन, देवरिया।**
प्रार्थना-पत्र संख्या व दिनांक	**023 / 16, 30.09.2016**
प्रार्थी की ओर से	**श्री निर्मल कुमार त्रिपाठी, पार्टनर।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

प्रार्थी सर्वश्री निर्मल कुमार राजकुमार, सिविल लाइन, देवरिया द्वारा दिनांक 30.09.2016 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा निम्नलिखित प्रश्नों का विनिश्चय किये जाने का अनुरोध किया गया है :-

1. यह कि प्रान्त बाहर से आयात स्टील ट्यूब (M.S. पाइप) फार्म-38 पर आयात पर आयात करके 2% C.S.T. (C फार्म देकर) U.P. में न्यू रिनेवल इन्र्जी डिवाइस एण्ड स्पेयर पार्ट (सोलर उपकरण) पर प्रयोग कर सोलर स्ट्रीट लाइट बनाकर बेचने पर क्या स्टील ट्यूब पर U.P. Vat Tax देना होगा।

2. यह कि प्रान्त बाहर से आयात स्टोरेज बैट्री 20 AH से 200 AH सोलर ट्यूबलर बैट्री नाम से भिन्न-भिन्न कम्पनी का आयात करते हुए 2% C.S.T. देकर (C फार्म देकर) फार्म-38 पर आयात करते हुए न्यू रिनेवल इन्र्जी डिवाइस एण्ड स्पेयर पार्ट सोलर उपकरण के साथ प्रयोग पर क्या आयात किये गये बैट्री पर U.P. Vat Tax देना होगा।

3. यह कि प्रान्त बाहर से आयात नट, बोल्ट, इलेक्ट्रानिक कापर वायर फार्म-38 के माध्यम से 2% C.S.T. (C फार्म देकर) आयात करते हुए न्यू रिनेवल इन्र्जी डिवाइस एण्ड स्पेयर पार्ट, सोलर उपकरण के साथ प्रयोग करने पर क्या नट बोल्ट, वायर का U.P. Vat Tax देना होगा।

4. यह कि प्रान्त बाहर से इलेक्ट्रानिक वेल्डिंग राड इलेक्ट्रिक कटर का पत्थर ड्रिल बिट एवं आयर पटिया, एंगल प्रान्त बाहर से आयात पर फार्म-38 के माध्यम से 2% C.S.T. (C फार्म देकर) न्यू रिनेवल इन्र्जी डिवाइस एण्ड स्पेयर पार्ट सोलर उपकरण तैयार करने में प्रयोग किया जाता है स्ट्रेक्चर तैयारी हेतु तो क्या इलेक्ट्रानिक वेल्डिंग राड, इलेक्ट्रानिक कटर का पत्थर, ड्रिल बिट एवं आयर पटिया, एंगल के प्रयोग पर U.P. Vat Tax देना होगा।

5. यह कि प्रान्त बाहर से आयात करके A.C. मोटर A.C. मोनो ब्लाक पम्प D.C. मोटर एवं D.C. मोटर कन्ट्रोलर को फार्म-38 से आयात करके 2% C.S.T. देकर (C फार्म देकर) आयात करते हुए न्यू रिनेवल इन्र्जी डिवाइस एण्ड स्पेयर पार्ट सोलर उपकरण बनाने में प्रयोग करने पर क्या उपरोक्त आइटम पर U.P. Vat Tax देना होगा।

6. यह कि ह्यूम पाइप (सीमेन्ट गिट्टी का बना) पाइप और इन्टर लाकिंग ईंट ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत से राज्य वित्त एवं 14 वित्त की धनराशि से आपूर्तिकर्ता को प्रधान और सेक्रेटरी अथवा ग्राम विकास अधिकारी, A.D.O. पंचायत, ब्लाक, प्रमुख B.D.O. के हस्ताक्षर से फर्म को बिल के अनुसार चेक से

....2

भुगतान किये जाने पर क्या अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1315 / ग्यारह-9 (10) / 08-उ0प्र0 अधि0-5-2008-आदेश-(101) 2013 लखनऊ दिनांक 07 अक्टूबर, 2013 क्या ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत पर लागू होगा।

7. यह कि रोड पर लगने वाले ठेला, खोमचा द्वारा प्रतिदिन डेढ़ हजार से 2 हजार रुपये की बिक्री चाय, कचौड़ी, पकोड़ा, समोसा, चाऊमिन, भोजन वरगर, छोला वटुरा के ग्राहक को बिक्री करता हो तो क्या उस ठेला वाले खोमचा वाले को U.P. Vat Tax देना होगा।

8. यह कि छोटे, बड़े दुकानदार वेटर्स होटल, रेस्टोरेन्ट वाले ढाबा भोजनालय शाकाहारी, मॉसाहारी भोजन, कुल्फी, डोसा, खोया पनीर चाट, फुल्की की बिक्री ग्राहक को प्रतिदिन 10 से 15 हजार रुपये करने वाले दुकानदार आपके यहॉ पंजीकृत होंगे या नहीं बिक्री पर Vat Tax का छूट प्राप्त होगा या नहीं।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री निर्मल कुमार त्रिपाठी, फर्म स्वामी उपस्थित हुए। उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराया गया।

3. एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, गोरखपुर जोन गोरखपुर के पत्र संख्या-2402, दिनांक 19.11.2016 द्वारा प्रेषित आख्या निम्न प्रकार है :-

1. उत्तर प्रदेश शासन के नोटिफिकेशन दिनांक 07.07.2015 द्वारा रिनुवल एनर्जी एवं स्पेयर पार्ट पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 में 5% की दर से करदेयता है एवं दिनांक 07.07.2015 से ही सोलर एनर्जी डिवाइस एण्ड स्पयेर पार्ट्स करमुक्त घोषित किया गया है। व्यापारी द्वारा आयातित एम0एस0 पाइप का प्रयोग सोलर एनर्जी डिवाइस एवं पार्ट्स में प्रयोग करने पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत करदेयता नहीं होगी।

2. प्रान्त बाहर से आयातित स्टोरेज बैट्री का प्रयोग सोलर एनर्जी डिवाइस एवं पार्ट्स में करने पर एवं इसकी बिक्री पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत कर देय नहीं होगा।

3. प्रान्त बाहर से आयातित नट बोल्ट, इलेक्ट्रानिक कापर वायर का प्रयोग सोलर एनर्जी डिवाइस एवं पार्ट्स में करने पर इसकी बिक्री पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत कर देय नहीं होगा।

4. प्रान्त बाहर से आयातित इलेक्ट्रानिक वेल्डिंग राड, कटर का पत्थर, ड्रिल बिट, पटिया, एंगल यदि सोलर एनर्जी डिवाइस एवं पार्ट्स में प्रयोग करके बिक्री किया जाता है पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत कर देय नहीं होगा।

5. प्रान्त बाहर से ए0सी0 मोटर, ए0सी0 मोनो ब्लाक पम्प एवं डी0सी0 मोटर तथा डी0सी0 मोटर कन्ट्रोलर का प्रयोग यदि सोलर एनर्जी डिवाइस एवं पार्ट्स में करके बिक्री करने पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत कर देय नहीं होगा।

6. ह्यूम पाइप (सीमेन्ट गिट्टी का बना) पाइप और इण्टर लाकिंग ईंट ग्राम पंचायत एवं राज्य वित्त एवं 14वें वित्त की धनराशि से आपूर्तिकर्ता को प्रधान एवं सेक्रेटरी अथवा ग्राम विकास अधिकारी, ए0डी0ओ0 पंचायत, ब्लाक प्रमुख, बी0डी0ओ0 के हस्ताक्षर से फर्म को बिल के अनुसार चेक से भुगतान किये

.....3

जाने पर अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1315 / ग्यारह-9 (10) / 08-उ0प्र0 अधि0-5-2008-आदेश-(101) 2013 लखनऊ दिनांक 07.10.2013 द्वारा आपूर्ति की भुगतान राशि पर 4% की दर से टी0डी0एस0 की कटौती करते हुए वाणिज्य कर विभाग में जमा किया जाना है।

7. रोड पर ठेला एवं खोमचा द्वारा प्रतिदिन रु0 1500.00 से रु0 2000.00 करयोग्य बिक्री किये जाने पर व्यापारी का वार्षिक टर्नओवर रु0 पॉच लाख से अधिक हो जाता है। अत: वाणिज्य कर विभाग में व्यापारी को पंजीयन लेना आवश्यक होगा तथा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत कर देय होगा।

8. छोटे, बड़े दुकानदार कैटर्स, होटल, रेस्टोरेन्ट वाले, ढाबा, भोजनालय शाकाहारी, मॉसाहारी भोजन कुल्फी, डोसा, खोया, पनीर, चाट की बिक्री ग्राहक को प्रतिदिन रु0 दस से पन्द्रह हजार करने पर व्यापारी करयोग्य सीमा से अधिक टर्नओवर का व्यापारी होने पर वाणिज्य कर विभाग में पंजीयन आवश्यक होगा एवं उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत कर देय होगा।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि आवेदक एक पंजीकृत व्यापारी है तथा उनके द्वारा सभी प्रकार के work contract हेतु विभाग में पंजीयन प्राप्त किया गया है। पूछे गए प्रश्न किसी भी प्रकार से आवेदक से संबंधित नही है तथा आवेदक द्वारा स्वयं भी पूछे गए प्रश्नों से अपना कोई संबंध होना नही बताया गया है। उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा-59 के प्राविधान निम्नवत है:-

" यदि न्यायालय के समक्ष अथवा इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही से भिन्न कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ "-

(क) कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का संघ, सोसायटी, क्लब, फर्म, कम्पनी, निगम, उपक्रम या सरकारी विभाग व्यवहारी है, या

(ख) किसी माल के प्रति किया गया कोई कार्य-विशेष स्वत: या परिणामत: माल का निर्माण, उस शब्द के अर्थानुसार है ; या

(ग) कोई संव्यवहार विक्रय या क्रय है और यदि हॉ, तो उसका विक्रय या क्रय मूल्य, यथास्थिति, क्या है ; या

(घ) किसी व्यवहारी विशेष से पंजीयन कराना अपेक्षित है ; या

(ङ) किसी विक्रय या क्रय विशेष के सम्बन्ध में कर देय है, और यदि हॉ, तो उसकी दर क्या है:-

तो सम्बन्धित व्यक्ति या व्यवहारी, धारा-72 में विनिर्दिष्ट शुल्क जमा करके, ऐसे दस्तावेजों सहित जो निर्धारित किए जाएं कमिश्नर को प्रार्थना पत्र दे सकता है।

उक्त प्राविधान से स्पष्ट है कि पूछें गए प्रश्न किसी नियम अथवा अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी के समक्ष लम्बित कार्यवाही के अतिरिक्त प्रश्न उत्पन्न होने पर कोई संबंधित व्यक्ति अथवा डीलर प्रश्न के निर्धारण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है। आवेदक द्वारा न तो प्रश्नगत वस्तुओं की खरीद बिक्री की जाती है और न ही उनके द्वारा प्रश्नगत वस्तुओं की खरीद बिक्री अथवा निर्माण बिक्री आरंभ किए जाने का

कोई कथन किया गया है । अत: आवेदक किसी भी प्रकार से संबंधित व्यक्ति अथवा डीलर नही है तदनुसार उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का कोई उत्तर दिया जाना अपेक्षित नही है।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि व्यवस्था का परिशीलन किया गया । धारा-59 के प्राविधानों के अन्तर्गत कोई भी प्रश्न संबंधित व्यक्ति अथवा डीलर द्वारा ही पूछा जा सकता है। आवेदक का पूछे गए प्रश्नों से कोई संबंध नही है अत: आवेदक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर धारा-59 के अन्तर्गत दिया जाना अपेक्षित नही है इसलिए तदनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गाह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

6. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

दिनांक 07 मार्च, 2017

ह0/ 07-03-17

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।